



Ascension St. Vincent

St. Vincent Hospital and Healthcare Center, Inc. d/b/a Ascension St. Vincent – Castleton

**वित्तीय सहायता नीति का सारांश**

Ascension St. Vincent, जिसमें उपरोक्त सूचीबद्ध स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के प्रति प्रतिबद्ध है और उनका सम्मान करता है, विशेष रूप से उन लोगों का जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करते हैं। Ascension St. Vincent पूरे समुदाय की सेवा के रूप में अपने स्वास्थ्य संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए, Ascension St. Vincent उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो Ascension St. Vincent से आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल प्राप्त करते हैं। यह सारांश Ascension St. Vincent की वित्तीय सहायता नीति का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है।

**कौन पात्र है?**

यदि आप Ascension St. Vincent - Castleton की प्राथमिक सेवा क्षेत्र में रहते हैं, जो मुख्य रूप से सेंट्रल इंडियाना का मैरियन काउंटी है, तो आप वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं, हालांकि यह केवल इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वित्तीय सहायता का निर्धारण आम तौर पर संघीय गरीबी के स्तर की तुलना आपकी कुल घरेलू आय से करके किया जाता है। यदि आपकी आय संघीय गरीबी स्तर के 250% से कम या इसके बराबर है, तो आपको उन शुल्कों के भाग पर 100% चैरिटी देखभाल राइट-ऑफ मिल सकता है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी आय संघीय गरीबी के स्तर के 250% से अधिक है पर संघीय गरीबी के स्तर के 400% से अधिक नहीं है, तो आप को विसर्पी पैमाने (स्लाइडिंग स्केल) पर रियायती दरें प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए आपका चिकित्सीय कर्ज आपकी आय से अधिक है, तो आप छूट के पात्र हो सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति आपकी संघीय गरीबी स्तर की आय राशि के 250% से अधिक है, तो आप वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। जो मरीज़ वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, उन्हें पात्र देखभाल के लिए सामान्यतः बीमा कवरेज वाले मरीज़ों को बिल की जाने वाली राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

**कौन सी सेवाएं शामिल हैं?**

वित्तीय सहायता नीति आपातकाल और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल पर लागू होती है। इन शर्तों को वित्तीय सहायता नीति में परिभाषित किया गया है। अन्य सभी सेवाएं वित्तीय सहायता नीति में शामिल नहीं हैं।

**मैं कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूँ?**

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए, आमतौर पर आपको एक लिखित आवेदन पूरा करना होगा और सहायक दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे, जैसा कि वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति के आवेदन में वर्णित है। आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज़ दोनों को पंजीकरण कार्यालय में लौटाया जाना चाहिए या Ascension St. Vincent, PFS Dept/Self Pay Team/Confidential, PO Box 713441, Chicago, IL 60677-4341 पर डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

**मुझे आवेदन करने में मदद कैसे मिल सकती है?**

वित्तीय सहायता नीति आवेदन में सहायता के लिए, आप Ascension St. Vincent - Castleton, Registration department, Main Entrance से संपर्क कर सकते हैं, या इसके लिए 866-435-2078 पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं।

**मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?**

वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति के आवेदन फ़ॉर्म की प्रतियाँ <https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Indiana> पर उपलब्ध हैं और सभी मरीज़ पंजीकरण विभागों में भी प्राप्त की जा सकती हैं। वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति के आवेदन की निःशुल्क प्रतियाँ डाक के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए ग्राहक सेवा को टोल-फ़्री नंबर 866-435-2078 पर कॉल करें। वित्तीय सहायता नीति के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी Ascension St. Vincent - Castleton, Registration Department, Main Entrance पर उपलब्ध है, या इसके लिए 866-435-2078 पर फ़ोन करके संपर्क किया जा सकता है।

**अगर मैं पात्र नहीं हूँ तो क्या होगा?**

अगर आप वित्तीय सहायता नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं, तो आप अन्य प्रकार की सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया Ascension St. Vincent - Castleton, Registration Department, Main Entrance से संपर्क करें, या इसके लिए 866-435-2078 पर फ़ोन करके संपर्क करें।

वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता नीति का आवेदन और निर्देश, और इस सरल भाषा में सारांश का अनुवाद हमारी वेबसाइट पर और अनुरोध करने पर निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: स्पेनी, फ़्रांसीसी, चीनी और अरबी